

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक  
सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।

सेवा में,

सचिव  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद  
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र  
प्रीतविहार- नई दिल्ली।

पत्रांक: सी०बी०एस०ई०/

/2019-20

दिनांक: ०१-०६-२०१९

विषय:- बजाज इण्टरनेशनल स्कूल, शारदा नगर, सहारनपुर को सी० बी०एस०ई०बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-1916/15-7-09-(299)/2007 शिक्षा (7) अनुभाग, लखनऊ दिनांक 14.07.2009 के द्वारा गठित मण्डलीय समिति को "बजाज इण्टरनेशनल स्कूल, शारदा नगर, सहारनपुर" को सी०बी०एस० ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति नहीं हैः-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य (जिला विद्यालय निरीक्षक पदेन) होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/ बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी तथा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ एज्यूकेशन, नई दिल्ली/ काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एकजामिनेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त होने की दशा में पूर्व से अन्य परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 5- संस्था को उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा पूर्व से मान्यता प्राप्त होने के संबंध में यदि कोई तथ्य छिपाया गया हो तो यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
- 6- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।
- 7- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति के लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।
- 8- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 9- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 10- विद्यालय द्वारा प्रस्तावित भूमि/ भवन में ही विद्यालय संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है, अन्यत्र किसी भी भूमि/ भवन में संचालित होने वाले विद्यालय अथवा शाखा हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र अमान्य होगा।
- 11- उक्त शर्तों में मण्डलीय समिति/ राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/ संशोधन/ परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

C. M. S.

12—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 की धारा—12 (1) (ग) के अन्तर्गत आस—पास के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा—एक/पूर्व प्राथमिक कक्षा में कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक प्रवेश दिया जाये।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती गयी है तो मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संस्था का होगा।

भवदीय

(बालेन्दु भूषण सिंह)

संयुक्त शिक्षा निदेशक

सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।

सदस्यसचिव, मण्डलीय समिति

दिनांक: उक्तवत्।

पृ० सं० / सी० बी० एस० ई० १०८५—७२ / 2019—20

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1—प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग—7, लखनऊ।

2—आयुक्त (अध्यक्ष—मण्डलीय समिति) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को समिति द्वारा लिये निर्णय के अनुपालन में।

3—जिलाधिकारी (सदस्य, मण्डलीय समिति) सहारनपुर।

4—शिक्षा निदेशक (मा०), उत्तर प्रदेश, 18 पार्क रोड, लखनऊ।

5—जिला विद्यालय निरीक्षक (सदस्य—मण्डलीय समिति) सहारनपुर।

6—प्रबन्धक, बजाज इंटरनेशनल स्कूल, शारदा नगर, सहारनपुर।

7—निरीक्षक, आंगं भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।

8—गार्ड फाईल।

anurag  
संयुक्त शिक्षा निदेशक

सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।

सदस्य सचिव, मण्डलीय समिति